न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या–अपील/जागीर/3415/2004/सीकर

1– मोहनलाल पुत्र हरदेव
- 1/1 परमेश्वरी पत्नी मोहनलाल
- 1/2 हनुमान सहाय पुत्र मोहनलाल
- 1/3 प्रभुदयाल पुत्र मोहनलाल
- 1/4 तुलसीराम पुत्र मोहनलाल
- 1/5 मनोज पुत्र मोहनलाल

2– रामप्रसाद पुत्र हरदेव मृतक जरिये वारिसान
- 2/1 द्रौपदी देवी पत्नी रामप्रसाद
- 2/2 पवन कुमार पुत्र रामप्रसाद
- 2/3 भवानी शंकर पुत्र रामप्रसाद
- 2/4 राकेश कुमार पुत्र रामप्रसाद
- 2/5 मोतीलाल पुत्र रामप्रसाद
- 2/6 मनोज कुमार पुत्र रामप्रसाद
- 2/7 संदीप कुमार पुत्र रामप्रसाद

समस्त जाति पंडा पुजारी निवासी हर्ष तहसील व जिला सीकर

–अपीलार्थीगण

बनाम

1– मुकन्दाराम पुत्र गोपीलाल
- 1/1 रमेश चंद्र पुत्र मुकन्दा
- 1/2 चन्द्रप्रकाश पुत्र मुकन्दा
- 1/3 राजेन्द्र पाराशर पुत्र मुकन्दा
- 1/4 पुष्पा देवी पुत्री मुकन्दा
- 1/5 निर्मला देवी पुत्री मुकन्दा
- 1/6 सुरेश कुमार पुत्र मुकन्दा

2– तोलाराम पुत्र काना मृतक जरिये वारिसान–
- 2/1 दुर्गादेवी पत्नी तोलाराम
- 2/2 ओमप्रकाश पुत्र तोलाराम
  - 2/2/1 पुनीत पुत्र ओमप्रकाश
  - 2/2/2 पंकज पुत्र ओमप्रकाश
- 2/3 पवन कुमार पुत्र तोलाराम
- 2/4 आत्माराम उर्फ लालू पुत्र तोलाराम — जरिये मुख्त्याराम आत्माराम
- 2/5 किरण पुत्री तोलाराम पत्नी अशोक पाण्डे
- 2/6 कमला शर्मा पुत्री तोलाराम

3– राधेश्याम पुत्र कानाराम मृतक जरिये वारिसान–
- 3/1 सुलोचना देवी पत्नी राधेश्याम
- 3/2 राजेन्द्र कुमार उर्फ राकेश पुत्र राधेश्याम
- 3/3 सुशील कुमार पुत्र राधेश्याम — जरिये मुख्त्याराम सुशील कुमार
- 3/4 अशोक कुमार पुत्र राधेश्याम
- 3/5 अनिल कुमार पुत्र राधेश्याम

4– प्रदीप कुमार पुत्र सीताराम पौत्र कानाराम
5– मूलचंद पुत्र केसरदेव
5/1 पुरूषोत्तम पुत्र मूलचंद
5/2 दीपक पुत्र मूलचंद
5/3 प्रदीप पुत्र मूलचंद
5/4 कुलदीप पुत्र मूलचंद
समस्त जाति पंडा पुजारी निवासी हर्ष तहसील व जिला सीकर
6– राजस्थान सरकार

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष
श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थितः–
श्री श्यामबाबू पारीक, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री हरदत सहारण, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः 15–06–2023

अपीलार्थी ने यह अपील जागीर एक्ट की धारा 39 के अन्तर्गत अपर जिला कलक्टर, सीकर द्वारा प्रकरण संख्या–01/2002 बउनवानी मुकन्दराम बनाम तोलाराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 29–07–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मृतक रैस्पोडेन्ट संख्या–1 मुकन्दा ने तोलाराम वगैराह के विरूद्ध अपर जिला कलक्टर, सीकर के न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र बाबत् घोषित किए जाने पुजारी एवं प्रबंधक माफी मंदिर श्री शिवजी वाके पहाड हर्ष व दिलाए जाने भोग राशि प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी एवं प्रत्यर्थीगण संख्या 1 लगायत 6 को माफी मंदिर श्री शिवजी वाके पहाड हर्ष का पुजारी एवं प्रबंधक होने से मंदिर के भोग की राशि में से 1/6 भाग की राशि प्रार्थी, 1/6 भाग की राशि प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 3 को, 1/6 की राशि प्रत्यर्थी संख्या 4 को एवं 1/2 भाग की राशि प्रत्यर्थी संख्या 5 व 6 को प्राप्त करने हेतु प्रमाणपत्र प्रदान किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 29–07–2004 से प्रार्थी का प्रार्थनापत्र बाबत् घोषित किए जाने पुजारी और प्रबंधक माफी मंदिर श्री

शिवजी वाके पहाड हर्ष व दिलाए जाने भोग राशि खारिज कर दिया। इसी निर्णय के विरूद्ध यह अपील मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– मण्डल हाजा में अपील लम्बित रहने के दौरान पक्षकारान द्वारा दिनांक 25–5–2023 को राजीनामा पेश किया और उभय पक्षकारान ने राजीनामा स्वीकार करते हुए अपने हस्ताक्षर किए इस बाबत् तस्दीक अतिरिक्त निबन्धक (न्याय) द्वारा दिनांक 25–5–2023 को किया। दोनों पक्षों के अधिवक्ता मुताबिक राजीनामा एन.यू.टी. जारी करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

5– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं पारित निर्णयों का अवलोकन किया।

6– प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर, जागीर, सीकर के समक्ष मुकन्दाराम द्वारा तोलाराम वगैराह के विरूद्ध आवेदन बाबत् घोषित किये जाने पुजारी एवं प्रबन्धक माफी मन्दिर श्री शिवजी वाकै पहाड हर्ष व दिलाये जाने भोग राशि प्रस्तुत किया, जो पत्रावली संख्या 01/2002/प्रार्थनाप जागीर के रूप में दर्ज हुआ और जिसका निर्णय दिनांक 29–7–2004 को करते हुए इस निर्णय के द्वारा कानाराम की मृत्यु के पश्चात् मन्दिर की मिलने वाली भोग राशि प्राप्ति हेतु अप्रार्थीगण संख्या–1 लगायत 3 का हक व अधिकार मानते हुए प्रार्थी मुकन्दाराम का आवेदन खारिज किया गया है।

7– इस प्रार्थनापत्र में अपर जिला कलक्टर जागीर के समक्ष राज्य सरकार / देवस्थान विभाग को पक्षकार नहीं बनाया गया है। Rajasthan Land Reforms & Resumption of Jagirs Act. की धारा 40–बी में यह उल्लेख किया गया है –

40–बी State Government to be a party.- The state Government shall be and be deemed to be a party in every proceeding under this Act before the Commissioner for Khudkasht Lands or the Jagir Commissioner or the Board and every notice to be served or intended to be served on the State government may be served on the Collector.

लेकिन अपर जिला कलक्टर, जागीर के समक्ष राज्य सरकार और देवस्थान विभाग को पक्षकार नहीं बनाया गया था और वे अपना पक्ष नहीं रख पाये थे। मण्डल हाजा में अपील प्रस्तुत की गयी है औ उसमें केवल मात्र राज्य सरकार जरिये पेरोकार जिला सीकर को पक्षकार बनाया गया है, देव स्थान विभाग को पक्षकार नहीं बनाया गया है। भोग राशि के सम्बन्ध में देव स्थान विभाग को ही सक्षम अधिकारिता है, जो वस्तु स्थिति स्पष्ट कर सकते है कि कौन व्यक्ति कितनी भोग राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी

उल्लेख किया है कि कलक्टर, सीकर के पत्रांक 1405/आरजे दिनांक 28 जुलाई, 1955 के द्वारा मन्दिर की सेवा पुजा एवं भोग की राशि बाबत् लिस्ट कमिश्नर देव स्थान विभाग, राजस्थान जयपुर को भिजवाई गयी है जिसमें क्रम संख्या–32 में काना पण्डा मन्दिर शिवजी वाकै हर्ष अंकित है। अर्थात् देवस्थान विभाग द्वारा ही भोग राशि का वितरण किया जाना है। जहां तक सेवा पुजा के बिन्दू का प्रश्न है यह पूर्णतयाः सिविल न्यायालय द्वारा ही तय किया जा सकता है कि पुजा का अधिकार किस व्यक्ति को प्राप्त है और भोग की राशि के सम्बन्ध में देव स्थान विभाग ही राशि प्रदान करने के लिए अधिकृत है, जो इस प्रकरण में पक्षकार नहीं है। इसलिए इस प्रकरण का पुनः विनिश्चय करने हेतु अपर जिला कलक्टर, जागीर, सीकर को प्रतिप्रेषित किया जाना आवश्यक एवं उचित है, जिससे देवस्थान विभाग, राज्य सरकार का पक्ष स्पष्ट हो सके और प्रभावी निर्णय हो सके। अतः राजीनामा आवश्यक पक्षकारों के अभाव में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

8– परिणामतः इस अपील का निस्तारण करते हुए प्रकरण अपर जिला कलक्टर, जागीर, सीकर को प्रतिप्रषित करते हुए निर्देश दिये जाते है कि वे प्रकरण में देवस्थान विभाग, राज्य सरकार को पक्षकार बना कर, सभी पक्षों को साक्ष्य सबूत व सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए व राजीनामें पर विचार करते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

9– पक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबन्द किया जाता है कि वे अपर जिला कलक्टर, जागीर, सीकर के न्यायालय में दिनांक 28–07–2023 को उपस्थित हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य

(राजेश्वर सिंह)
अध्यक्ष